न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –182/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00331

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. पुरीलाल आत्मज मोतीलाल
2. मोहनलाल आत्मज मोतीलाल
3. बदामबाई पुत्री मोतीलाल
4. गुलाबबाई पत्नि मोतीलाल

सर्व जातियान चमार निवासीगण बिशन्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत् ।

उपस्थित–

1 पेरोकार सरकार

2 श्री उत्पल शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 03/03/2025

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आंवंटी अप्रार्थी को ग्राम बिशन्याखेडी के आराजी खसरा नम्बर 340 रकबा 0.28 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने, आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया, नोटिस बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थी नं0 1 की ओर से अभिभाषक श्री उत्पल शर्मा का वकालतनामा पेश हुआ, शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई । वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रेकार्ड एवं दस्तावेज खसरा गिदावरी आदि फर्द के साथ प्रस्तुत किये गये । पेरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम बिशनान्याखेडी तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 340 रंकबा 0.28 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।
4. वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में कृषि आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 224 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि दिनांक 7.3.1976 को उत्तरदाता के पिता मोतीलाल पुत्र औंकार को आवंटन हुयी थी तथा उक्त आवंटन के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 18.9.1977 से गैर खातेदारी में दर्ज हो गयी थी, वक्त आवंटन भूमि

जिला कलेक्टर
कोटा

नाकाबिल काश्त थी, जिसे उत्तरदाता एवं उसके पिता द्वारा अपनी मेहनत के बल पर काबिल काश्त बनाया । वर्तमान में उक्त आवंटनशुदा भूमि के नये खसरा नम्बर 340 रकबा 0.28 हे0 है तथा उत्तरदाता वर्तमान में भूमि पर काबिज काश्त है तथा गत कृषि वर्ष में उत्तरदाता द्वारा सोयाबीन फसल बोई थी । उक्त आवंटित भूमि पर खसरा गिरदावरी संवत 2030 से 2036 से लेकर सम्वत 2067 से 2070 तक उत्तरदाता का कब्जा बरकरार रहा है । वक्त आवंटन से उत्तरदाता के पिता तथा उत्तरदाता के पिता जी की मृत्यु उपरान्त से उत्तरदाता का कब्जा काश्त है तथा गैर खातेदारी के नामांतरकरण तस्दीक वक्त भी रिपोर्ट पटवारी के अनुसार कब्जा मोतीलाल आत्मज औंकार का था तथा गिरदावरी सम्वत 2033–36 से लगातार 2067 से 70 तक उत्तरदाता का कब्जा काश्त रहा है, तथा उक्त आवंटन न तो फ्रोड, मिस रिपेजनेशन एवं तथ्यों को छुपाकर करवाया और न ही आवंटन शर्त को भंग किया है । आवंटी अप्रार्थी द्वारा अलग अलग कृषि वर्ष में अपनी आवंटनशुदा भूमि पर मक्का, तिल्ली, उडद तथा सोयाबीन की फसले उगायी । इस कारण से जो प्रार्थना पत्र उत्तदाता के विरूद्व पेश किया है वह खारिज किये जाने योग्य है । भू राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा उत्तरदाता के विरूद्व पेश किया है वह सारहीन है, क्योंकि उक्त आवंटन लैण्डलेस पर्सन के रूप में उत्तरदाता के पिता को आवंटन हुआ था तथा उक्त आवंटन सम्पूर्ण आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंसा पर हुआ था तथा आवंटन ना तो मिस प्रजेन्टेन्सन न ही फ्रोड एवं तथ्यों को छुपाकर करवाया है । कानूनन आवंटन के तीन वर्षो के उपरान्त खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है, परन्तु प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता तहसीलदार द्वारा ना तो उक्त आवंटन के बाद आवंटनशुदा भूमि की खातेदारी उत्तरदाता अथवा उसके पिता के पक्ष में दी, बल्कि मिथ्या तथ्यों के आधार पर उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज किये जाने योग्य है । तहसीलदार द्वारा उक्त कार्यवाही अत्यधिक मियाद बाहर पेश किया है तथा देरी का कोई समुचित कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता एक समुचित सरकार है जिसे विधि का पूर्ण ज्ञान है बावजूद इसके मियाद के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई तथ्य अंकित नहीं किया है इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है । उत्तदाता के पिता का भूमि पर आवंटन से पूर्व ही कब्जा था तथा आवंटन के पश्चात कब्जा लगातार है तथा गैर खातेदारी का नामांतरकरण खुलने के उपरान्त भूमि विकास बैंक से लोन भी ले रखा है तथा किसी भी प्रकार का कोई लोन वगैर कब्जे के नहीं दिया जाता है, इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावें । वकील अप्रार्थी ने अपने कथनों की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त RBJ (8) 2001, RBJ(23)2016 प्रस्तुत किये है ।

5. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम बिशन्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी की वर्तमान खसरा 340 रकबा 0.28 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने से आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाने से आवंटन निरस्त किया जावें । वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त किया जा रहा है, कब्जा काश्त की पुष्टि में खसरा गिरदावरी संवत 2077 की प्रस्तुत की है जिसमें सोयाबीन की फसल होना जाहिर आया है । किन्तु तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ खसरा गिरदावरी में काश्त दर्ज नहीं है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी कब्जा नहीं होना एवं आवंटित भूमि काश्त नहीं होना अंकित है, अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त करने की पुष्टि मे अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये । इसं प्रकार वकील द्वारा कब्जा काश्त करने की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेज पर्याप्त साक्ष्य नहीं है । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त करने के पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने

जिला कलेक्टर
कोटा

से तथा कब्जा काश्त नहीं करने से आवंटन शर्तो का उल्लंघन है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है । वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय RBJ (8) 2001, RBJ(23)2016 से हम सहमत है कि निरन्तर 10 वर्ष तक काश्त करने पर आवंटी का आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है किन्तु वर्णित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय इस प्रकरण पर पूर्णरूप से लागू नहीं होते है ।

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर आवंटी अप्रार्थी के हक में ग्राम बिशन्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी की भूमि खसरा नम्बर 186 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 224 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 340 की रकबा 0.28 हे0 का दिनांक 7.3.1976 को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है । तहसीलदार रामगंजमण्डी उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जे राज लेवें ।
7. निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा